डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2023/HQ/Admin/RTI-710 **New Delhi: 29.08.2023**

The PIO
Competent Authority
Cum District Land Acquisition Officer
Aurangabad
Maharashtra

Subject: Providing information w.r.t. Original RTI Application received under the RTI Act 2005.

Reference: RTI application of Sh. Gaya Sharma.

Enclosed please find an RTI application received from Sh. Gaya Sharma transferred under Section 6(3) of RTI Act 2005 to your office.

Information on points pertaining to your office may please be provided to the applicant directly under intimation to this office.

(S.K. Panda)
JGM/Admn.(CPIO)
Mob.-9717636811
E-mail: skpanda@dfcc.co.in

Copy to:

1. **Sh. Gaya Sharma, Gram Chhittampur, UP** : **For information and followup with above office, information pertains to this office is attached.**
2. **CGM/Kolkata** : **For Information.**

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprises
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

न.: केकेके/इन/आरटीआई/4/पार्ट.-III/1337
No.KKK /EN /RTI /4 / Pt.-III/ 1337

दिनांक: 25.08.2023
Date: 25.08.2023

संयुक्त महाप्रबंधक प्रशा. (ज.सू.अ.)
डीएफसीसीआईएल
नई दिल्ली
JGM/Admn (CPIO)
DFCCIL
New Delhi

विषय: प्रार्थना पत्र अंतरगर्त जनसूचना अधिकार अधिनियम -2005 – आर टी आई रजिस्ट्रेशन न. DFCCL/R/T/23/00063 दिनांक 16.08.2023

Sub: Application under Right to Information Act-2005-- RTI Registration No. DFCCL/R/T/23/00063 dated 16.08.2023

संदर्भ: आरटीआई अनुरोध के लिए 16.08.2023 को कॉर्पोरेट कार्यालय से प्राप्त ईमेल (पंजीकरण संख्या डीएफसीसीएल/आर/टी/23/00063 दिनांक 16.08.2023)

Ref: Email received from corporate office on 16.08.2023 for RTI Request (Registration no. DFCCL/R/T/23/00063 dated 16.08.2023)

आवेदक श्री गया शर्मा, ग्राम छित्तमपुर, गोबरियां, पोस्ट-मुगलसराय, जिला-चंदौली, यूपी द्वारा डीएफसीसीआईएल से उपरोक्त संदर्भ में जानकारी/प्रासंगिक दस्तावेज मांगे गए हैं।

उपरोक्त संदर्भ में मांगी गई जानकारी नीचे दी गई है:

प्राथी गया मिस्त्री पुत्र स्व0 लखन मिस्त्री निवासी ग्राम– चरकावा महमुद अंचल (6) रफीगंज, जिला– औरंगाबाद (बिहार), हाल पता ग्राम– छित्तमपुर, गोबरियां पो0– मुगलसराय, जिला– चन्दौली (उ0प्र) निम्नलिखित निवेदन करता है:– 1. यह कि प्रार्थी आराजी मौजा– चरकावा, थाना सं0– 418, खाता सं0– 60, खेसरा सं0– 176/1576, रकवा– 0.0760 हे0 का सह खातेदार भू–स्वामी है, जिसको श्रीमान जी द्वारा विषेष रेल परियोजना फ्रेट कॉरिडोर हेतु रेल अधिनियम 2008 की धारा–20(E) के अन्तर्गत सन्–2017 में भूमि अर्जित किया गया है। 2. यह कि प्रार्थी उक्त के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर श्रीमान् जी से उत्तर की अपेक्षा करता है, जिसे दिया जाना आवष्यक एवं न्याय संगत है।	1. & 2. प्रार्थी द्वारा दी गयी सूचना ।

3. यह कि प्रार्थी के नाम मौजा– चरकावा, थाना सं0– 418, खाता सं0– 60, खेसरा सं0– 176/1576, रकवा– 0.0760 हे0 भूमि विषेष रेल परियोजना फ्रेट कॉरिडोर निर्माण हेतु सन्–2017 में अर्जित किया गया है, लेकिन प्रार्थी को आज तक उसका कोई मुआवजा नही मिला, अगर प्रार्थी को उक्त के सम्बन्ध में मुआवजा नहीं मिला, अगर प्रार्थी को उक्त के सम्बन्ध में मुआवजा नही दिया गया तो उसके कारण क्या है? 4. यह कि प्रार्थी को उक्त को उक्त के सम्बन्ध में मुआवजा कब तक प्राप्त करा दिया जायेगा? 5. यह कि प्रार्थी को उक्त के सम्बन्ध में प्रार्थी को अब तक मुआवजा प्राप्त नहीं कराया गया तो उसका कारण क्या है?	3. 4. & 5. मौजा– चरकावा, थाना सं0– 418, खाता सं0– 60, खेसरा सं0– 176/1576, रकवा– 0.0760 हे0 का मुआवजा भुगतान सक्षम प्राधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा दिनांक– 06.05.2019 को किया गया है। प्रभावित रैयता का भुगतान करना सक्षम प्राधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्य क्षेत्र में पड़ता है। अतः प्रार्थी के भुगतान नही करने का कारण एवं समय सीमा हेतु सक्षम प्राधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद से संपर्क किया जा सकता है।
6. यह कि प्रार्थी को उक्त के सम्बन्ध में मुआवजा प्राप्त होगा अथवा नही?	6. प्रार्थी प्रभावित रैयत है या नही इसका निर्धारण करना सक्षम प्राधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्य क्षेत्र में पड़ता है। यदि प्रार्थी प्रभावित रैयत है, तो सक्षम प्राधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद से संपर्क किया जा सकता है।
7. यह कि प्रार्थी ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में प्राधिकारी सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जिला–औरंगाबाद (बिहार) को जन सूचना अधिकार के अर्न्तगत आवेदन दिनांक– 16.06.2023 को दिया है, लेकिन प्रार्थी उसका जवाब अभी तक प्राप्त नही हुआ है।	7. इसका डीएफसीसीआईएल से कोई संबंध नहीं है।

कृपया यह आपकी जानकारी और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित है।

मुकेश
25.08.2023
(मुकेश कुमार बर्णवाल)
उप परि. प्रबंधक-सं. व दू. एवं
सहायक जन सूचना अधिकारी